

आदेश

प्रायः देखा जा रहा है कि AutoMap Portal पर नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन बिहार भवन उपविधि 2014 यथा संशोधित 2022 के तहत जमा नहीं किये जाने के कारण नक्शे की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जिसके समाधान के लिए तकनीकी कर्मियों (वास्तुविद/अभियंता/संरचना अभियंता/नगर निवेशक/पर्यवेक्षक), बिल्डर एवं भवन निर्माता के साथ बैठक आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

अतः उक्त के आलोक में नक्शा स्वीकृति में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु दिनांक-30.05.2023 के अपराह्न 12:00 - 2:00 बजे Virtual माध्यम से बैठक आहूत की जा रही है, जिसमें वैसे तकनीकी कर्मी (वास्तुविद/अभियंता/संरचना अभियंता/नगर निवेशक/पर्यवेक्षक), बिल्डर एवं भवन निर्माता जिन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापक-08 नंवि० Empanelment-01/2022 नंवि० एवं आ०वि० 2147 दिनांक-18.05.2023 द्वारा निबंधन के लिए अनुशंसित किया गया है (कुल-794), की उपस्थिति अनिवार्य है।

ह०/-
निदेशक
शहरी योजना,
पटना नगर निगम।

- प्रतिलिपि:- (1) सभी संबंधित तकनीकी कर्मी (वास्तुविद/अभियंता/संरचना अभियंता/नगर निवेशक/ पर्यवेक्षक), बिल्डर एवं भवन निर्माता को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) आई०टी०टीम/ई-गवर्नेंस शाखा, पटना नगर निगम निर्देशित है कि सभी संबंधित को बैठक के संबंध में सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

hbm
27/05/23
निदेशक
शहरी योजना,
पटना नगर निगम।